



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2025—आश्विन 21, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

शुद्धि पत्र

क्र. एफ ए 3-35-2017-1-पांच (40).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1-पांच (25), जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 18 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के,—

- पृष्ठ 518 पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 9 के सम्मुख कॉलम 3 में, "प्रीवाले के पैकेज्ड और लेबल अलावा" के स्थान पर "प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा" पढ़ें;
- पृष्ठ 518 पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 10 के सम्मुख कॉलम 3 में, "मछली के बीज, झींगाश्रिम्प के बीज चाहे संसाधित /, उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले माल के अलावा [" के स्थान पर "मछली के बीज, झींगा / श्रिम्प के बीज चाहे संसाधित, उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले माल के अलावा) पढ़ें;
- पृष्ठ 518 पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 12 के सम्मुख कॉलम 3 में, "मछली पट्टिका और (फिलेट्स) अन्य" के स्थान पर "मछली पट्टिका (फिलेट्स) और अन्य" पढ़ें;
- पृष्ठ 518 पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 22 के सम्मुख कॉलम 3 में, "प्रीके पैकेज्ड और लेबल वाले-अलावा" के स्थान पर "प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा" पढ़ें;
- पृष्ठ 518 (1) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 31 के सम्मुख कॉलम 3 में, "लेटयूस (.सिकोरियम एसपीपी) और चिकोरी लैक्टुका सैटिवा)," के स्थान पर "लेटयूस (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिकोरियम एसपीपी) " पढ़ें;
- पृष्ठ 518 (2) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 53 के सम्मुख कॉलम 3 में, " कस्टर्ड (आता) एप्पल—," के स्थान पर "कस्टर्ड-एप्पल (आता)" पढ़ें;
- पृष्ठ 518 (2) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 63 के सम्मुख कॉलम 3 में, " प्रीलेबल वाले के अलावा पैकेज्ड और—" के स्थान पर " प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा" पढ़ें;
- पृष्ठ 518 (2) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 68 के सम्मुख कॉलम 3 में, "प्रीवाले के अलावा पैकेज्ड और लेबल—" के स्थान पर " प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा" पढ़ें;

- ix. पृष्ठ 518 (4) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 97 के सम्मुख कॉलम 3 में, " प्रीलेवल वाले के अलावा पैकेज्ड और—" के स्थान पर " प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा" पढ़ें;
- x. पृष्ठ 518 (4) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 103 के सम्मुख कॉलम 3 में, "पानी वातायित), खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, विखनिज—(सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा और" के स्थान पर "पानी (वातायित, खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, वि-खनिज और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा)" पढ़ें;
- xi. पृष्ठ 518 (4) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 105 के सम्मुख कॉलम 3 में, "डी (चावल की भूसी के अलावा) ऑयलड केक— " के स्थान पर " डी-ऑयलड केक (चावल की भूसी के अलावा) " पढ़ें;
- xii. पृष्ठ 518 (5) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 112 के सम्मुख कॉलम 3 में, "जो (डीसीपी) IS विनिर्देश संख्या "के स्थान पर "(डीसीपी) जो भारतीय मानक विनिर्देश संख्या " पढ़ें;
- xiii. पृष्ठ 518 (5) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 121 के सम्मुख कॉलम 3 में, "स्वर" के स्थान पर "इरेजर" पढ़ें;
- xiv. पृष्ठ 518 (7) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 159 के सम्मुख कॉलम 3 में, "अंतरिक्ष यान और सबऑर्विटल और अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) प्रक्षेपण वाहन" के स्थान पर "अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और सबऑर्विटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन " पढ़ें;
- xv. पृष्ठ 518 (7) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 165 के सम्मुख कॉलम 3 में, "सैनिटरी टॉवेल या सैनिटरी नैपकिन (पैड); टैम्पोन" के स्थान पर "'सैनिटरी टॉवेल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन; टैम्पोन" पढ़ें;
- xvi. पृष्ठ 518 (7) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 167 के सम्मुख कॉलम 3 में, " पूजा सामग्री अर्थात्— : रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण (, पवित्र धागा जिसे) (आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है, लकड़ी की खड़ाऊ; पंचामृत, विभूति, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती, रोली, कलावा रक्षा) (सूत्र, चंदन टीका" के स्थान पर "
- "पूजा सामग्री अर्थात्—
- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);
 - (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);
 - (iii) लकड़ी की खड़ाऊ;
 - (iv) पंचामृत;
 - (v) विभूति;
 - (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
 - (vii) दीये की बाती;
 - (viii) रोली;
 - (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
 - (ix) चंदन टीका" पढ़ें;
- xvii. पृष्ठ 518 (8) पर, अंकित अनुसूची की क्रम संख्या 171 के सम्मुख कॉलम 3 में, "राखी अध्याय) 71 के अंतर्गत आने वाले माल से बनी राखियों के अलावा (" के स्थान पर "राखी (अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल से बनी राखियों के अलावा) पढ़ें;

2. पृष्ठ 518 (9) पर, अंकित अनुबंध-1 की क्रम संख्या 4 के सम्मुख कॉलम 2 में, "एप्टाकॉग अल्फा सक्रिय पुनः संयोजक जमावट कारक Villa" के स्थान पर "इप्टाकॉग अल्फा एक्टिवेटेड रेकोमिनंत कोएगुलेशन फैक्टर VII ए" पढ़ें;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव.